

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

की धारा-4 (1) (बी) के अन्तर्गत स्वमेव प्रकटीकरण की जानकारी

(PROACTIVE DISCLOSURE)

विवरणिका

(17 POINT - MANUAL)

—::000::—

अनुक्रमणिका (Index)

क्रं.	विवरण	पेज नं.
	प्रस्तावना	03-04
1.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य	05-22
2.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कृत्य	23-30
3.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं	31
4.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	32
5.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख	33
6.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में दस्तावेजों जो धारित या नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण	34
7.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए या अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं	35
8.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत गठित मण्डल परिषद कमेटी	36
9.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	37-39
10.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली है, की जानकारी	40-46
11.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को आबंटित बजट	47
12.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	48
13.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ	49
14.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उपलब्ध हो या धारित हों	50
15.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष एवं कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	51
16.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	52
17.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में अन्य सूचना जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा।	53

प्रस्तावना

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 15 जून, 2005 को स्वीकृति प्रदान दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू हो चुका है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना तथा उत्तरदायित्व का बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को कम करना तथा लोकतंत्र को सही अर्थों में लोगों के हित में काम करने में सक्षम बनाना है।

सूचना ऐसी चीज है, जिसे प्रत्येक नागरिक समाज के जीवन और शासन में भागीदारी करने की अपेक्षा करता है। जितना अधिक सूचना तक नागरिकों की पहुंच होगी, उतना अधिक सामुदायिक आवश्यकता के प्रति शासन का उत्तर होगा। वैकल्पिक रूप से जितना अधिक निर्बंधन होगा, जो पहुंच पर रखे जाते हैं, उतना अधिक शक्तिहीनता और अन्य संक्रमण की भावना होगी। सूचना के बिना लोग पर्याप्त रूप से नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों का प्रयोग नहीं कर सकते या सूचित चुनाव नहीं कर सकते।

प्रस्तुत जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ब) के अन्तर्गत है। इस हस्तपुस्तिका का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपालन में नागरिकों को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड से संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराकर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना है। इस हस्तपुस्तिका में निम्नलिखित सत्रह बिन्दुओं की विवरणिका (Manual) सम्मिलित है।

1. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य।
2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कृत्य।
3. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।
4. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।
5. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख।

6. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में दस्तावेजों जो धारित या नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण।
7. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए या अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं।
8. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत गठित मण्डल, परिषद कमेटी।
9. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका।
10. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली है, की जानकारी।
11. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को आबंटित बजट।
12. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।
13. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ।
14. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उपलब्ध हो या धारित हों।
15. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष एवं कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।
16. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।
17. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में अन्य सूचना, जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा।

हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों से संबंधित छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, की जानकारी वेबसाइट <http://www.cspc.co.in> में भी पृथक रूप से उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4(ख)i

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य)

क्रमांक	विवरण
1	प्रारंभिकी ।
1.1	हमारा दर्शन ।
1.2	सिंहावलोकन (संक्षिप्त इतिहास एवं गठन का प्रसंग) ।
1.3	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड प्रबंधन (यथास्थिति) ।
1.4	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रमुख अधिकारी ।
1.5	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के संगठनात्मक ढाँचा ।
1.6	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रमुख क्रियाकलाप (वित्तीय वर्ष 2018-19)
1.7	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रमुख जनसूचना अधिकारी ।
1.8	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड का पता, व कार्यालयीन समय एवं अवकाश ।

C.S.POWER HOLDING COMPANY LIMITED

The philosophy

Vision

A Reliable, Environment Friendly, Power Generation & Distribution at competitive cost

Mission

To make the State POWER HUB of the Country
To set a reliable PROFESSIONAL & I.T. Savvy utility
To promote EXCELLENCE in Power Business
To set a NATIONAL STANDARD IN efficiency, Oprn. & Maint.

Values

Loyalty & Pride of the Organization
Honesty, Professional Integrity & Fairness
Safe & Motivating working environment
Standard in quality norm
Continuous learning process
Excellent Employee-Employer relationship

Attitude

A Win Win approach
Customer Centric to the core
Validation of state-of-the art technology to
Indian Power Industry
Transparency in profession
Team Spirit & Mutual Trust

1.2 सिंहावलोकन

(संक्षिप्त इतिहास एवं गठन का प्रसंग)

विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वर्ष 1957 में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की स्थापना हुई। भारतीय संसद द्वारा पारित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का नव-उदय हुआ। तत्पश्चात् विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य शासन के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 नवम्बर, 2000 के माध्यम से जारी अधिसूचना से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन किया गया एवं उक्त तिथि से अपनी पैतृक संस्था मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अस्तित्व में आ गया एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने 01 दिसम्बर, 2000 से विधिवत् कार्य करना प्रारंभ किया।

सम्पूर्ण देश में लागू हुए विद्युत सुधार कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act 2003) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य शासन के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को पाँच कम्पनियों में यथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, के रूप में पुनर्गठित किया गया। राज्य शासन द्वारा इस अधिसूचना को अधिक्रमित कर दिनांक 31.03.2010 को पुनरीक्षित योजना नियम जारी किये गये।

अधिसूचना

छ0ग0 शासन ऊर्जा विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 21/13/2/2009 अधि.सू./ऊर्जा विभाग दिनांक 30.12.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की सम्पत्तियों, उपकरणों, हितों, अधिकारों, बाध्यताओं, दायित्वों, कार्मिकों और कार्यवाहियों को उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों अर्थात् छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, को अंतरित करने संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम 2010 जिसे आगे "योजना" के नाम से संदर्भित किया गया है, को दिनांक 31 मार्च 2010 को अधिसूचित किया गया है। उक्त योजना में जहाँ जहाँ शब्द "बहत्तर माह" अंकित है के स्थान में शब्द "एक सौ बत्तीस माह" प्रतिस्थापित करने हेतु आदेश जारी करती है। यह अधिसूचना दिनांक 30.12.2014 से लागू होगी।

राजपत्र में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के कर्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार दर्शाए गए हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना, 2010

1. "होल्डिंग कम्पनी" से अभिप्राय छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड से है, जिसे कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के अन्तर्गत मुख्य रूप से होल्डिंग कम्पनी, जनरेशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी एवं ट्रांसमिशन कम्पनी के सुचारु रूप से संचालन के लिए उनके मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए गठित व पंजीकृत किया जाना है ।

छ.ग. स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के कार्य एवं दायित्व

होल्डिंग कंपनी के क्रियाकलाप एवं दायित्व कंपनी के द्वारा निर्मित "संस्था के ज्ञापन-पत्र" एवं "संस्था नियमावली" की धाराओं के अंतर्गत मूलतः निर्दिष्ट होंगे या जैसा समय-समय पर परिवर्तन हों ।

होल्डिंग कंपनी के प्रमुख कार्य एवं दायित्व :

(क) होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य एवं दायित्व :

- (i) होल्डिंग कंपनी नियत तिथि से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड में शत-प्रतिशत अंशपूजी (इक्विटी) रखेगी ।
- (ii) होल्डिंग कंपनी छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसपीडीसीएल एवं सीएसपीट्रेडको में समय-समय पर आवश्यक अतिरिक्त अंशपूजी निवेश कर सकेगी ।
- (iii) होल्डिंग कंपनी संक्रमण अवधि में समस्त आवश्यक सहयोग उत्तरदायी कंपनियों को प्रदत्त करेगी ।
- (iv) होल्डिंग कंपनी, अन्य उत्तरदायी कंपनियों के परामर्श से अंतिम रूप से आबंटन होने तक अभिलाभ की सेवाएँ प्रदत्त करेगी । इसमें स्थानांतरण एवं आबंटित पद की लाभ सेवाएँ भी सम्मिलित होंगी ।
- (v) होल्डिंग कंपनी द्वारा व्यय की समस्त राशि जैसे प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, विधिक एवं परामर्श शुल्क इत्यादि जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी को क्रमशः समानुपातिक रूप से वितरित करेगी ।

(ख) निवेश कंपनी के रूप में कार्य एवं दायित्व :-

- (i) होल्डिंग कंपनी प्राथमिक रूप से एक निवेश कंपनी होगी तथा जनरेशन ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा विद्युत की ट्रेडिंग से संबंधित किसी भी व्यवसाय में रत् कंपनियों में निवेश कर सकेगी।
- (ii) निजी विकासकर्ताओं के साथ समस्त संयुक्त उपक्रम परियोजनाओं में विद्यमान इक्विटी होल्डिंग छत्तीसगढ़ राज्य शासन में विहित है व जिसके लिए नवीन पॉवर जनरेशन कंपनियों के विकास के लिए नियत तिथि के पूर्व संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) अनुबंध पहले ही संपादित किया जा चुका है, एतद् द्वारा को होल्डिंग कंपनी में हस्तांतरित किया जाता है। ऐसे इक्विटी होल्डिंग का विवरण नीचे वर्णित किया गया है :-

	संयुक्त उपक्रम परियोजनाएँ	इक्विटी होल्डर्स	इक्विटी सहभागिता
अ)	आईसीपीएल (इफ्फको छ.ग पॉवर लिमिटेड)	इण्डियन फामर्स फर्टीलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफ्फको)	चौहत्तर प्रतिशत् (74%)
		छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (सीएसईबी)	छब्बीस प्रतिशत् (26%)
ब)	आईसीबीपीएल (इण्डियाबुल्स सीएसईबी भैय्याथान पॉवर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (सीएसईबी)	छब्बीस प्रतिशत् (26%)
		इण्डियाबुल्स पॉवर सर्विसेज़	चौहत्तर प्रतिशत् (74%)

- (iii) होल्डिंग कंपनी निजी विद्युत विकासकर्ता के साथ ज्वाइंट वेंचर रूट द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित समस्त आगामी परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अंशपुंजी निवेश करेगी।

(ग) होल्डिंग कंपनी के समन्वयक कार्य :-

- (i) स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ समन्वय (आईपीपीज) :

(i-क) समस्त एमओयूज तथा छत्तीसगढ़ शासन के मध्य तथा पूर्ववर्ती सीएसईबी एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ता निष्पादित अनुबंध का क्रियान्वयन होल्डिंग कंपनी के नाम से एतद् द्वारा हस्तांतरित होगी। होल्डिंग कंपनी समस्त एमओयूज कार्यपालन हेतु तथा भविष्य में अनुबंध के क्रियान्वयन बाबत् उत्तरदायी होगी।

(i-ख) होल्डिंग कंपनी एमओयूज रूट के अंतर्गत स्थापित किए जाने हेतु समस्त आईपीपीज की प्रगति की समीक्षा बाबत् उत्तरदायी भी होगी।

- (ii) होल्टिंग कंपनी समस्त नवीन केपिटल परियोजनाओं के सिन्क्रोनाइजेशन तथा समय पर विकास हेतु प्रत्येक अनुमानित मूल्य सीएसपीजीसीएल की प्रत्येक योजना जिसकी लागत रू. 20 करोड़ तथा सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीडीसीएल तथा सीएसपीट्रेड को प्रत्येक की योजना जिसकी लागत रू. 10 करोड़ है के समय पर पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करेगा। इस प्रयोजनार्थ, होल्टिंग कंपनी दो उच्च स्तरीय समितियों के गठन हेतु उत्तरदायी होगा। यथा संचालन समिति, जिसमें समस्त उत्तराधिकार कंपनी के प्रबंध संचालक सम्मिलित होंगे तथा होल्टिंग कंपनी के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होंगे। तथा समस्त उत्तरवर्ती कंपनियों के वित्त तथा लेखा प्रमुख के साथ उत्तरवर्ती कंपनियों के वरिष्ठ कार्यपालन संचालकों/मुख्य अभियंताओं को सम्मिलित कर उपरोक्तानुसार कृत्य निर्वहन हेतु कार्यबल (टॉस्क फोर्स) का गठन करेगा। होल्टिंग कंपनी के नामांकित व्यक्ति इस समिति एवं कार्यबल के संयोजक होंगे।
- (iii) राज्य शासन या किसी अन्य राज्य शासन की एजेंसी और उत्तरवर्ती कंपनियों की सहभागिता से विकसित उत्पादन परियोजनाओं का विकास और क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करना।
- (iv) यह आवश्यक होगा कि उत्तरदायी कंपनियों के सुचारु कृत्यकारिणी के लिए समय-समय पर होल्टिंग कंपनी राज्य शासन तथा उत्तरवर्ती कंपनियों के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।

(v) वित्त तथा लेखा से संबंधित समन्वय कार्य तथा कर्तव्य :-

(v-क) होल्टिंग कंपनी संक्रमण (ट्रॉन्जिशन) अवधि के दौरान नगद प्रवाह व्यवस्थाओं तथा लेखा प्रक्रिया के संबंध में उत्तरदायी कंपनियों हेतु समस्त कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(v-ख) 31 दिसम्बर, 2008 तक पूर्ववर्ती सीएसईबी के दौरान के लेखों का अंतिमिकरण तथा अंकेक्षण।

(v-ग) होल्टिंग कंपनी ट्रॉन्जिशन अवधि के लिए प्रत्येक कंपनी के लेखाओं के अंतिमिकरण बाबत उत्तरवर्ती कंपनियों हेतु सभी वांछित सहायता तथा जानकारी भी उपलब्ध करायेगा।

(vi) मानव संसाधन से संबंधित समन्वय कार्य तथा कर्तव्य :-

(vi-क) होल्टिंग कंपनी अन्य उत्तरदायी कंपनियों के साथ परामर्श कर उत्तरवर्ती कंपनियों के कर्मचारियों हेतु भर्तियाँ तथा पदोन्नति हेतु योजनाएँ/विनियम निर्माणार्थ उत्तरदायी होवेगी।

(vi-ख) होल्टिंग कंपनी अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों के साथ परामर्श कर जैसा और जब अपेक्षित हो, उत्तरदायी कंपनियों हेतु वेतनमान तथा पारिश्रमिक देयक संरचना के संबंध में आवश्यक योजनाओं के निर्माणार्थ उत्तरदायी होवेगी। तथापि, प्रत्येक

उत्तरवर्ती कंपनी कार्यदक्षता के विकास के संबंध में प्रोत्साहन तथा प्रशंसानार्थ उनके कर्मचारियों हेतु किसी पारितोषिक या प्रोत्साहन योजना की अभिकल्पना हेतु स्वतंत्र होगी।

(vi-ग) होल्डिंग कंपनी, सीएसईबी उपादान तथा वृत्ति निधि न्यास तथा सीएसईबी भविष्य निधि न्यास के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण सहित उत्तरदायी कंपनियों के कर्मचारियों हेतु टरमिनल दायित्वों के निर्वहनार्थ उत्तरवर्ती कंपनियों के मध्य समन्वय करेगी।

(vi-घ) होल्डिंग कंपनी अपने स्वयं की आवश्यकताओं हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध यथावश्यक कार्मिक भर्ती करेगा।

(vii) विधिक मुद्दों से संबंधित समन्वयक कार्य तथा कर्तव्य :-

(vii-क) होल्डिंग कंपनी पूर्ववर्ती सीएसईबी के नाम में आयकर विधि के किसी न्यायालय में अवलम्बित अधिकरण या राज्य तथा केन्द्र शासन के किसी प्राधिकारी समस्त मामलों के साथ संव्यवहार्य करेगा।

(vii-ख) होल्डिंग कंपनी वैट, सेस, आयकर तथा सीमा कर ट्रॉन्जिशन अवधि के दौरान समस्त उत्तरवर्ती कंपनियों के मामलों हेतु समस्त विषयों के लिए समन्वय करेगा।

(vii-ग) एमपीईबी के पुनर्गठन तथा पूर्ववर्ती सीएसईबी के पुनर्संगठन के लिए किसी विधिक लम्बित प्रकरणों को हस्तगत करने, किन्तु किसी वैयक्तिक उत्तरवर्ती कंपनी के उपक्रमों एवं आस्तियों से संबंधित प्रकरणों को त्याज्य कर।

(घ) पूर्ववर्ती एमपीईबी/एमपीएसईबी/सीएसईबी के विवादों/मुद्दों के दायित्व निर्वहन तथा निपटारा :-

(i) होल्डिंग कंपनी उत्तरवर्ती कंपनियों के मध्य आबंटन तक पूर्ववर्ती सीएसईबी के समस्त दायित्व का निर्वहन करेगा एवं जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा ट्रेडिंग कंपनी से इस राशि की वसूली करेगा।

(ii) होल्डिंग कंपनी अधोलिखित विवादों/मुद्दों को सुलझाने हेतु उत्तरदायी होगा :-

(ii-क) म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अधीन पूर्ववर्ती एमपीईबी से संबंधित आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारियों एवं कर्मचारियों संबंधी विभाजन विषयक मुद्दे ;

(ii-ख) योजना तथा उसके संशोधन के संबंध में आस्तियों तथा दायित्वों का आबंटन;

(ii-ग) सीएसईबी के पुनर्गठन से संबंधित उत्तरवर्ती कंपनियों के मध्य विभिन्न मतभेदों का निराकरण करने से संबंधित समस्त अन्य कार्यों के साथ संव्यवहार्य करेगा।

1.3 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड का प्रबंधन

(वर्तमान स्थिति)

क्रं.	पदनाम	नाम सर्वश्री	दूरभाष क. (आफिस)	दूरभाष क्रमांक (निवास)	मोबाइल नं०	फैक्स क्रमांक
1	अध्यक्ष	शैलेन्द्र शुक्ला	4066900 2574000	----	----	4028882
2	निदेशक	गौरव द्विवेदी (भा.प्र.से.) सचिव (ऊर्जा) छ.ग.शासन	----	----	----	----
3	निदेशक	अमिताभ जैन (भा.प्र.से.) अपर मुख्य सचिव (वित्त) छ.ग.शासन	2510950	---	9826146416	2221204
4	प्रबंध निदेशक (होल्डिंग)	शैलेन्द्र शुक्ला	2574300 4066926	-----	-----	4066931
5	महिला निदेशक	श्रीमती तृप्ति सिन्हा	2574500	2574231	9425155334	6235132
6	निदेशक (कार्मिक तथा प्रशासनिक)	अजय कुमार दुबे	2574300 4066926	2574331	9424213116	4066931
7	महाप्रबंधक (मा.सं.)	एच.के.पाण्डेय	2574700	----	9826460053	2574157
8	महाप्रबंधक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	आलोक सिंह	2574359	---	9425387738	---

1.4 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रमुख अधिकारी गण

1.4 (अ) मानव संसाधन विभाग :-

(वर्तमान स्थिति)

क्रं.	पदनाम	नाम सर्वश्री	दूरभाष क. (आफिस)	दूरभाष क्रमांक (निवास)	मोबाइल नं०	फैक्स क्रमांक
1.	महाप्रबंधक (मा.सं.)	एच.के.पाण्डेय	2574700	---	9826460053	2574157
2.	कार्यपालक निदेशक (विभागीय जांच) (संविदा)	आनंद कुमार तिवारी	2574111	---	9425293000	---
3.	अति. महाप्रबंधक (मा.सं.)	सुनील कुमार मेहता	2574040	---	9826181464	---
4.	मुख्य चिकित्साधिकारी	डॉ.एच.एल.पंचारी	2574612	2574086	9424154615	---
5.	अति. महाप्रबंधक (ज.सं.)	विजय कुमार मिश्रा	2574702	2574615	9893123310	---
6.	मुख्य सतर्कता अधिकारी	एस.के.शर्मा	2576060	---	9425259130	2576061
7.	सलाहकार (विधिक)	एन.के.पी. सिंह	2574023	---	9425294002	---
8.	उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-I	जितेन्द्र मेहता	2574161	---	9893025354	---
9.	उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-II	सुनील कुमार खरे	2574151	---	9425555230	---
10.	उपमहाप्रबंधक (औ.सं.)	गोपाल खंडेलवाल	2574171	2106027	9425093614	---
11.	प्रबंधक (क्रय तथा सेवायें)	आनंद मोखरीवाले	2574114	2574115	9425224667	---
12.	प्रबंधक (समन्वय तथा प्रशासन)	श्रीमती तृप्ति सिंह वर्मा	2574113	---	9993908881	---
13.	प्रबंधक (मा.सं.)-पांच	श्रीमती मल्लिका बेक	2574689	---	9329806924	---
14.	प्रबंधक (मा.सं.)-चार	श्रीमती पूर्णिमा कुलदीप	2574688	---	9826124848	---
15.	प्रबंधक (मा.सं.)-छः/आठ	डॉ. श्रीमती अल्पना शरत तिवारी	2574690	---	9424200133	---
16.	अधीक्षण अभियंता (सतर्कता)	के.एस.तिवारी	2576064	---	9425162601	---
17.	सतर्कता अधिकारी	एस.पी.भट्ट	2576066	---	9425262227	---


18.	सहायक यंत्री (सतर्कता)	श्रीमती पुष्पलता वर्मा	2576065	---	9406210049	---
19.	प्रबंधक (मा.सं.)-तीन	पंकज सिंह परमार	2574157	---	9425015018	---
20.	प्रबंधक (मा.सं.)-दो	श्रीमती नम्रता राठौर	2574685	---	9009897157	---
21.	गोपनीय अधिकारी	एस.के.तिवारी	2574676	---	9826560832	---
22.	प्रबंधक (औ.सं.)	अतुल तिवारी	2574671	---	9406236356	---
23.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	पी. एस. परिहार	2574673	---	9425520125	---
24.	सहायक यंत्री	श्रीमती पल्लवी शाह मरकाम	2574683	---	9406230104	---
25.	हाऊस मैनेजर (संविदा)	डॉ. गणेश मिश्रा	011- 42730148	---	----	---

1.4 (ब) वित्त विभाग :-

कार्यालय महाप्रबंधक (वित्त) के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं दूरभाष क्रमांक का विवरण:-

क्र.	पदनाम कार्यालय का नाम	अधिकारी का नाम	दूरभाष क्रमांक			
		सर्वश्री / श्रीमती	कार्यालय	निवास	मोबाइल	फैक्स
1.	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	आलोक सिंह	2574359	---	94253-87738	---
2.	अति.महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	ए. के. चन्द्राकर	2574323	2574324	98268-32747	---
3.	प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	राजेश कुमार तांती	2574369	---	93024-47958	---
4.	प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	श्रीमति नीतू मुखर्जी	2574369	---	98260-68020	---
5.	सहायक प्रबंधक. (वित्त एवं लेखा)	सत्य नारायण मुंदड़ा	2574346	---	---	---

1.5 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की संरचना



1.6 मानव संसाधन, प्रशासनिक एवं कार्मिक विभाग,

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में मानव संसाधन विभाग:-

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर द्वारा दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक की अवधि में निष्पादित प्रमुख कार्य:-

कार्यरत कर्मी :- छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों की स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त की संख्या दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में निम्नानुसार है:-

श्रेणीवार स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त कर्मियों की संख्या:-

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रथम श्रेणी	36	35	01
2	द्वितीय श्रेणी	10	09	01
3	तृतीय श्रेणी	35	95	-60
4	चतुर्थ श्रेणी	22	43	-21
	कुल	103	182	-79

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्यरत कर्मी :-

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में निम्नानुसार रही।

वर्ग	श्रेणीवार अजा/अजजा के कार्यरत कर्मियों की संख्या				योग
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
अजा	03	00	02	06	11
अजजा	04	02	05	03	14
कुल	07	02	07	09	25

महिला अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में निम्नानुसार रही।

क्रमांक	श्रेणीवार कार्यरत महिला कर्मियों की संख्या				योग
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
01	08	02	11	07	28

छ.ग. स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक की अवधि में किये गए प्रमुख कार्य :-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम 2010 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2018 में उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पुनर्गठन उपरांत गठित उसकी 04 सहायक कम्पनियां यथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड उत्तरवर्ती कंपनियों हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कुल **309** अधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्नतियाँ आदेश जारी किये गये। इसके अतिरिक्त राज्य की उक्त सभी पावर कंपनियों के कुल **208** अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया। वर्ष 2018-19 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी गई पदोन्नतियां, उच्च वेतनमान, एवं भर्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

पदोन्नत किए गए कर्मियों का विवरण

क्रमांक	श्रेणीवार पदोन्नत कर्मियों की संख्या				योग
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
01	131	71	107	निरंक	309

उच्च वेतनमान स्वीकृत किए गए कर्मियों का विवरण

क्रमांक	श्रेणीवार उच्च वेतनमान स्वीकृत कर्मियों की संख्या				योग
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
01	10	57	130	11	208

अनुकंपा नियुक्तियाँ की संख्या

क्रमांक	श्रेणीवार अनुकंपा नियुक्तियों की संख्या				योग
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
01	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

भर्तियां:-

क्रमांक	श्रेणीवार नई भर्तियों की संख्या				योग
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
01	निरंक	148	243	2100	2491

प्रतिनियुक्तियाँ :-

राज्य शासन के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्तियाँ :-

दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 के मध्य छत्तीसगढ़ शासन के अधीन 06 प्रथम श्रेणी अधिकारी, 04 द्वितीय श्रेणी अधिकारी, निरंतर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे। जिसका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	श्रेणीवार प्रतिनियुक्तियों की संख्या				योग
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
01	06	04	00	00	10

अन्य विभाग से पावर कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	श्रेणीवार प्रतिनियुक्ति की संख्या				योग
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
01	00	00	01	00	01

दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक होल्डिंग कंपनी के संचालक मंडल की 10 बैठकें आयोजित की गईं। जिसमें लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय निम्नानुसार हैं:-

- 01 विद्युत कंपनियों में अनुकम्पा नियुक्ति।
- 02 राज्य शासन की भू-विस्थापित नीति के अंतर्गत नियुक्त कर्मियों का वेतन का पुनरीक्षण।
- 03 कनिष्ठ अभियंता एवं सुपरवाइजर को फील्ड एलाउंस की पात्रता।
- 04 राज्य के एल डब्ल्यू ई क्षेत्र में पदस्थ कर्मियों को विशेष भत्ते की स्वीकृति।
- 05 पावर कंपनियों में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तों में संशोधन।
- 06 अधिकारियों/कर्मचारियों की अचल संपत्ति की जानकारी को वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाना।
- 07 नियुक्ति उपरांत परीक्षा संबंधी प्रावधानों का युक्तियुक्तकरण।
- 08 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनियों की स्थानांतरण नीति।
- 09 छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम की संशोधित अधिसूचना ग्राह्य किया जाना।
- 10 विभागीय पदोन्नति समिति का पुनर्गठन।
- 11 कुछ महत्वपूर्ण श्रेणी- चार के पदों को तृतीय श्रेणी का दर्जा दिया जाना।
- 12 चिकित्सा, ग्रंथालय प्रकोष्ठ, प्रकाशन प्रकोष्ठ का पुनर्गठन।
- 13 सिविल संकाय के सेटअप का पुनर्गठन।

वेतन एवं अनुशंगी लाभ :-

- I. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आदेश क्रमांक 402-403 दिनांक 24.04.2018 द्वारा मंहगाई भत्ते/मंहगाई राहत में 2 % की वृद्धि कर 7 % किया गया एवं आदेश क्रमांक 863-864 दिनांक 22.09.2018 द्वारा पुनः 2 % की वृद्धि कर 9 % किया गया।
- II. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनियों के पेंशनर्स हेतु आदेश क्रमांक 404-405 दिनांक 24.04.2018 द्वारा मंहगाई भत्ते/मंहगाई राहत में 2 % की वृद्धि कर 7 % किया गया एवं आदेश क्रमांक 865-866 दिनांक 22.09.2018 द्वारा पुनः 2 % की वृद्धि कर 9 % किया गया।
- III. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आदेश क्रमांक 891-892 दिनांक 01.10.2018 द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को लेखा वर्ष 2018-19 के लिए रुपये 7000/-बोनस/अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई।

वित्त संकाय:-

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वित्त संकाय के महत्वपूर्ण कार्य:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना 2010 (ट्रांसफर स्कीम) के प्रावधानों के अनुसार गठित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वित्त संकाय द्वारा ट्रांसफर स्कीम के संगत कंडिकाओं एवं अनुसूची में परिभाषित होल्डिंग कंपनी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत संपादित कार्य संक्षेप में निम्नानुसार है:-

1. होल्डिंग कंपनी द्वारा सी.एस.ई.बी. उपादान तथा वृत्ति निधि न्यास (सी.एस.ई.बी. पेंशन एण्ड ग्रेज्यूटी फण्ड ट्रस्ट) तथा सी.एस.ई.बी. भविष्य निधि न्यास (सी.एस.ई.बी. प्रोव्हीडेंट फण्ड ट्रस्ट) के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण सहित उत्तरवर्ती कंपनियों के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय देय भुगतान के दायित्वों का निर्वहन किया गया।
2. होल्डिंग कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की अवधि के आयकर से संबंधित विभिन्न न्यायालयों, अधिकरण, राज्य तथा केन्द्र शासन तथा केन्द्र शासन के किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित संव्यवहार के दायित्वों का निर्वहन किया गया। इसके अतिरिक्त होल्डिंग कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 के संगत प्रावधानों के अधीन पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से संबंधित आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारियों के राज्य आबंटन से संबंधित आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारियों एवं कर्मचारियों संबंधी विभाजन विषयक लंबित मुद्दों एवं उससे संबंधित विभिन्न विधिक लंबित प्रकरणों से संबंधित मामलों में भी संव्यवहार के दायित्वों का निर्वहन किया गया।
3. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के वित्तीय वर्ष 2016-17 के स्टैंड अलोन लेखों का वैधानिक अंकेक्षण एवं तत्पश्चात् महालेखाकार द्वारा पूरक अंकेक्षण का कार्य क्रमशः दिनांक 18.06.2018 एवं 14.11.2018 को पूर्ण किया गया है।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये सब्सिडरी कंपनी के वित्तीय लेखों को शामिल करते हुए समेकित वित्तीय लेख तैयार किये गये हैं। तदनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए समेकित वित्तीय लेख भी वर्ष 2018 में तैयार किये गये। इन समेकित वार्षिक लेखों का वैधानिक अंकेक्षण एवं तत्पश्चात् महालेखाकार द्वारा पूरक अंकेक्षण का कार्य क्रमशः दिनांक 20.11.2018 एवं 04.02.2019 को पूर्ण किया गया है।
5. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्टैंडअलोन वार्षिक लेखों का वैधानिक अंकेक्षण दिनांक 15.02.2019 को पूर्ण कर लिया गया है।

1.7 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, के प्रमुख जनसूचना अधिकारी :-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद
1	महाप्रबंधक (मा.सं.) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर	श्री सुनील कुमार खरे उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर
2	महाप्रबंधक (वित्त) सह मुख्य वित्तीय अधिकारी छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर	श्री ए.के. चन्द्राकर अति० महाप्रबंधक (वित्त) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर

1.8 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का पता व कार्यालयीन समय व अवकाश

कार्यालयीन पता — द्वितीय तल, विद्युत सेवा भवन
डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)
पिन — 492013
दूरभाष — 0771-2574700

कार्यालयीन समय — सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक।

अवकाश — प्रत्येक रविवार, द्वितीय व तृतीय शनिवार तथा राज्य शासन द्वारा घोषित सामान्य अवकाश।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4(ख)ii

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य :-

संगठन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलग-अलग श्रेणी/पद हैं जिनकी संख्या विस्तृत है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय की जरूरत के अनुसार कर्तव्य पालन करते हैं। कार्यालयों में उपयोग होने वाले पदनाम की संख्या एवं प्रकार अलग-अलग है, तदपि होल्डिंग कम्पनी के विभिन्न कार्यालयों यथा प्रबंध निदेशक, निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), महाप्रबंधक (मानव संसाधन), महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यपालक निदेशक (विभागीय जांच)-संविदा, अतिरिक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन), अति महाप्रबंधक (ज.स.), उपमहाप्रबंधक (मा.सं.) -एक, उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-दो, उपमहाप्रबंधक (औ.सं.), सलाहकार (विधिक), प्रबंधक (समन्वय तथा प्रशासन) तथा प्रबंधक (क्रय तथा सेवायें) को मण्डल आदेश क्रमांक 01-01/दो/219/32 दिनांक 20.03.1985 एवं उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के द्वारा अपने अधिकारियों को कर्तव्य निर्वहन के लिए अधिकार प्रत्योजित किए हैं।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अधीन पदों का प्रकार्य :-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन), मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), कार्यपालक निदेशक (विभागीय जांच)-संविदा, अतिरिक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन), अति. महाप्रबंधक (प्रकाशन) उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)-एक, उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)-दो, प्रबंधक (समन्वय तथा प्रशासन), प्रबंधक (क्रय तथा सेवाएं), उपमहाप्रबंधक (औद्योगिक संबंध), सलाहकार (विधि),।

उप महाप्रबंधक (मा.सं.) एक

उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)-एक द्वारा निष्पादित कार्य को दो प्रभागों में बांटा गया है, यथा प्रबंधक (मा.सं.)-पाँच एवं प्रबंधक (मा.सं.)-दो

1. प्रबंधक (मा.सं.)-पाँच

1. ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों के पदोन्नति पेनल, यथा सिविल/वित्त एवं लेखा/सुरक्षा/अग्निशमन /चिकित्सा इत्यादि।

2. प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों से संबंधित पावर कंपनीज की नीतिगत निर्णय संबंधी कार्य।
3. अतिविशिष्ट शासकीय पत्रों का उत्तर।
4. गोपनीय चरित्रावली पुनरावलोकन संबंधी अभ्यावेदनों पर कार्यवाही।
5. कंपनी स्थानांतरण से संबंधित प्रकरणों का संधारण।
6. सूचना के अधिकार के प्रकरणों पर कार्यवाही।
7. उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—एक से संबंधित समस्त न्यायालयीन पत्रों का संधारण।
8. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों पर कार्यवाही।
9. प्रथम श्रेणी अधिकारियों की वरिष्ठता सूची।
10. उच्चाधिकारियों द्वारा समय—समय पर आदेशित अन्य कार्य।
11. व्ही.आई.पी.संदर्भित प्रकरणों का निष्पादन।

2. प्रबंधक (मा.सं.)—दो

1. ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विभिन्न संवर्गों की पदोन्नति पेनल का संधारण।
2. अतिविशिष्ट शासकीय पत्रों का उत्तर।
3. समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के उच्चतर वेतनमान के आवेदनों पर कार्यवाही व संधारण।
4. म.प्र.वि.मं. एवं छ.रा.वि.मं. के अधिकारियों के बंटवारे संबंधी कार्य।
5. होल्डिंग व ट्रेडिंग कंपनी के अधिकारियों के समस्त स्थापना व एल0टी0सी0 संबंधी कार्य।
6. अन्य विभागों के विद्युत कंपनी के अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रकरण।
7. विद्युत कंपनियों में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पद/नियतकालीन पदों की स्थिति अद्यतन रखना।
8. नये पदों का सृजन व विलोपन का कार्य।
9. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के

चल/अचल संपत्ति का संधारण का कार्य।

10. छ.ग.रा.विद्युत मंडल अंतरण नियम 2010 के तहत किये जाने वाले कार्य।
11. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरण।
12. उच्च शिक्षा, परिवार नियोजन एवं विशेष वेतन वृद्धि संबंधी प्रकरणों के कार्य।
13. उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर आदेशित कार्य।
14. सूचना के अधिकार के प्रकरणों पर कार्यवाही।
15. व्ही.आई.पी.संदर्भित प्रकरणों का निष्पादन।

उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो

उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)—दो द्वारा निष्पादित कार्य को चार प्रभागों में बांटा गया है यथा प्रबंधक (मा.सं.)—तीन/चार एवं प्रबंधक (मा.सं.)/छः/आठ साथ ही उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधी कार्य विशेष रूप से संपादित किये जाते हैं।

1. प्रबंधक (मा.सं.)—तीन

1. तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।
2. लोकायुक्त से संबंधित कार्य।
3. व्ही.आई.पी.संदर्भित प्रकरणों का निष्पादन।
4. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति।
5. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना।
6. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन का पुनर्विलोकन।
7. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।

2. प्रबंधक (मा.सं.)—चार

कर्मचारियों की स्थापना से संबंधित कार्य यथा:—

1. अवकाश यात्रा नगदीकरण।
2. पासपोर्ट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।
3. अवकाश अध्ययन एवं स्वीकृति।
4. चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय की अनुमति प्रदान करना।
5. अवकाश स्वीकृति।
6. वेतन का निर्धारण एवं वेतन वृद्धियाँ।
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना एवं गोपनीय प्रतिवेदन का पुनर्विलोकन।
8. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।

3. प्रबंधक (मा.सं.)—छः

1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का उच्च वेतनमान स्वीकृति।
2. केन्द्रीय संवर्ग के कर्मचारियों का वरिष्ठता सूची निर्धारण।
3. अनुकंपा नियुक्ति।
4. कार्यभारित कर्मचारियों का नियमितीकरण।
5. न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण।
6. कनिष्ठ यंत्री (पारे0/वित0/सिविल) का पदोन्नति।
7. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।
8. व्ही.आई.पी.संदर्भित प्रकरणों का निष्पादन।

5. प्रबंधक (मा.सं.)—आठ

1. प्रथम/द्वितीय श्रेणी पदो एवं कनिष्ठ यंत्रियों / सहा. प्रकाशन अधिकारी/सहा. विधि अधिकारी की नियमित/संविदा भर्ती।
2. द्वितीय श्रेणी एवं कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) की कंपनी स्थानांतरण पश्चात् नियमितीकरण।
3. द्वितीय श्रेणी एवं कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) द्वारा कंपनी की सेवा से त्याग पत्र संबंधी कार्यवाही।
4. द्वितीय श्रेणी अधिकारियों का चरित्र सत्यापन संबंधी कार्यवाही।
5. सुरक्षा निधि वापसी विषयक।
6. एन.पी.एस. संबंधी कार्य।
7. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।
8. व्ही.आई.पी.संदर्भित प्रकरणों का निष्पादन।

प्रबंधक (समन्वय व प्रशासन)

लोक सभा/विधान सभा संबंधी कार्य, ऊर्जा विभाग से समन्वय, राजभवन/राज्य शासन/व्ही.आई.पी. से प्राप्त होने वाले पत्राचार, कर्मचारियों के पुरस्कार, कम्प्यूटर अग्रिम स्वीकृति से संबंधित कार्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी स्टाफ नियंत्रण सहित दैनंदिनी प्रशासनिक कार्य, राष्ट्रीय समारोह, ट्रांजिट हाऊस, नई दिल्ली से संबंधित सभी कार्य केन्द्रीय ग्रंथालय, गुढ़ियारी एवं डंगनिया स्थित विभागीय आवास एवं रेस्ट हाऊस आबंटन डंगनिया परिसर के शेड, भवन तथा सभा कक्ष के आबंटन का कार्य, IPP's की

प्रगति की मॉनिटरिंग, मेडिकल पॉलिसी, CMEC की बैठक से संबंधित कार्य, अन्य चिकित्सालय हेतु रिफरल केस व इलाज स्वीकृति से संबंधित कार्य, प्रायवेट चिकित्सालयों के Empanelment से संबंधित कार्य, कार्यालयीन स्थापना एवं केश सेक्शन का कार्य, विद्युत कंपनी की टेलीफोन डायरेक्टरी एवं डायरी प्रिंटिंग, मासिक प्रगति विवरण एकजाई कर ऊर्जा विभाग को प्रेषित करना, प्रमुख विद्युत समंक, प्रशासकीय प्रतिवेदन इत्यादि की जानकारी एकजाई कर प्रिंटिंग का कार्य, बजट तैयार करना, उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

प्रबंधक (क्रय तथा सेवायें)

होलिडिंग कंपनी से संबंधित सभी प्रकार के टेण्डर्स/खरीदी संबंधी कार्य, सुरक्षा ठेका संबंधी कार्य, वाहन किराये पर लेने, व्ही.आई.पी. हेतु वाहनों की व्यवस्था करने तथा संचालक मंडल की बैठक संबंधी कार्य डंगनिया परिसर में कॉफी हाउस का ठेका संबंधी कार्य, दूरभाष एवं मोबाईल संबंधी कार्य एवं बिलों का भुगतान, वेतन पुनरीक्षण से संबंधित कार्य, कार्यालयीन स्टेशनरी एवं भंडारण सामग्री संबंधी कार्य, उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

उप महाप्रबंधक (औ.सं.)

1. मजदूर संघों से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना
2. हड़ताल, धरना आदि के समय यथा शासन, श्रम न्यायालय से निर्देश प्राप्त करना एवं हड़ताल के संबंध में कार्यवाही करना।
3. कम्पनी प्रमुख के अनुमोदन उपरान्त श्रम एवं औद्योगिक न्यायालयीन प्रकरणों पर उचित कार्यवाही करना।
4. विद्युत कम्पनियों द्वारा अधिकृत सोसायटियों द्वारा स्कूल, केण्टीन इत्यादि चलाने हेतु अनुदान की अनुशंसा करना।
5. सुरक्षा सप्ताह आदि का क्रियान्वयन करना।
6. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करना।

सलाहकार (विधि)

1. कम्पनी प्रमुख के अनुमोदन उपरान्त न्यायालयीन प्रकरणों पर अधिकृत अधिकारी (OIC) एवं अधिवक्ता नियुक्त करना।

2. अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत फीस का प्रबंध करना/निर्धारण करना।
3. न्यायालयीन प्रकरणों पर मासिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. न्यायालयीन प्रकरणों में विधिक सलाह देना एवं कम्पनियों के प्रकरणों में अनुमोदन प्राप्त करना।

अति.महाप्रबंधक (प्रकाशन)

1. विभिन्न संचार माध्यमों में कम्पनियों की उपलब्धियों/गतिविधियों का प्रकाशन।
2. 'संकल्प पत्रिका' का प्रकाशन।
3. समाचार पत्रों आदि में प्रकाशन हेतु समाचार बुलेटिन आदि तैयार करना।
4. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनीय आदि के लिए विज्ञापन का संधारण करना।
5. विभिन्न समाचार एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत दर, बिल, प्रस्ताव आदि को स्वीकृत करना।
6. प्रेस दौरा, प्रेस कांफ्रेंस, पत्रकार सम्मेलन, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह आदि की व्यवस्था करना।
7. पत्र प्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना
8. स्थानीय वरिष्ठ अधिकारियों से सत्त सम्पर्क, नियमित एवं सामयिक विभागीय प्रकाशन एवं मुद्रण में सहयोग।
9. कम्पनी के हित में समाचार प्रकाशन करवाना।
10. विभागीय प्रदर्शनी संबंधित कार्यों का सम्पादन करना।

मुख्य सतर्कता अधिकारी

1. ऐसे शिकायत पत्र/प्रकरण जिसमें पावर कंपनी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर स्वयं के लिए लाभ प्राप्त करने की शिकायत की गई हो।
2. ऐसे शिकायत पत्र/प्रकरण जिनमें पावर कंपनी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या किसी संस्थान (कंपनी, सोसाइटी आदि) को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने की शिकायत की गई हो।
3. ऐसे शिकायत पत्र/प्रकरण जिनमें पावर कंपनी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नियमों की अवहेलना कर पावर कंपनी को हानि पहुंचाने की शिकायत की गई हो।
4. ऐसे शिकायत पत्र/प्रकरण जिनमें पावर कंपनी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा छ.ग.

सिविल सेवा (आचरण) नियमों (जिन्हें पावर कंपनी द्वारा एडॉप्ट किया गया है) के उल्लंघन किये जाने की शिकायत की गई हो।

**कार्यपालक निदेशक
(विभागीय जांच)—संविदा**

1. पावर कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/ई.ओ.बी. से संबंधित कार्य।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अंतर्गत वित्त संकाय में कार्यरत अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार निष्पादित कार्य:-

**1. महाप्रबंधक (वित्त) एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी**

1. होल्डिंग कंपनी के वित्तीय प्रस्तावों पर अधिकार क्षेत्रांतर्गत अनुमोदन।
2. बजट, शासकीय बजट तथा योजना आयोग संबंधित कार्य।
3. बैंक एवं अर्थ प्रबंधन, जी.पी.एफ., एल.आई.सी. एवं भवन निर्माण अग्रिम संबंधी।
4. स्थापना, सामान्य प्रशासन, पेंशन, अंकेक्षण, सार्वजनिक उपक्रम तथा एओजीओ आडिट संबंधी कार्य।
5. संसाधन आयोजना संबंधी कार्य, पूर्व के म०प्र०वि०मं०/छ०रा०वि०मं० के आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा संबंधी, छ०रा०वि०मं० का पुनर्गठन और उससे संबंधित कार्य।
6. प्रबंध निदेशक, होल्डिंग कम्पनी के निर्देशानुसार वित्तीय कार्य।

**2. अति.महाप्रबंधक (वित्त एवं
लेखा)**

1. होल्डिंग कंपनी के समस्त खातों का संधारण।
2. 31 दिसम्बर, 2008 तक के समस्त खातों का अंतिमीकरण एवं अंकेक्षण।
3. करारोपण एवं समस्त आयकर प्रकरण जो कि किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन में लंबित हो एवं पूर्ववर्ती छ.रा.विद्युत मण्डल के नाम पर हो।
4. पेंशन, जी.एस.एल.आई.एस. आई.टी. (सैप) आडिट एवं सी.ए.यू.

3. उपमहाप्रबंधक (वित्त)

1. बैंक एवं अर्थ प्रबंधन।
2. बिल्स, विद्युत मण्डल के पुनर्गठन से संबंधित।
3. म.प्र.वि.मं. से संबंधित समस्त प्रकरण जो कि किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या किसी भी राज्य

शासन/केन्द्रशासन में लंबित हो ।

4. वित्त संबंधी Co-ordination कार्य ।
5. छ.रा. विद्युत मण्डल के पुनर्गठन के संबंधित कार्य

4. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

1. बैंक एवं अर्थ प्रबंधन ।
2. वित्तीय अनुमोदन संबंधी कार्य ।
3. सामान्य प्रशासन एवं स्थापना कार्य ।
4. वित्तीय संयोजन संबंधी कार्य ।
5. पूर्ववर्ती छ.रा.वि.मं. एवं म.प्र.वि.मं. के पुनर्गठन से संबंधित कोई भी प्रकरण जो कि पूर्ववर्ती म.प्र.वि.मं. के पुनर्गठन से संबंधित हो एवं किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन के कार्यालय में लंबित प्रकरण ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4 (ख) iii

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं)

1. विद्युत अधिनियम, 2003 ।
2. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम ।
3. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 ।
4. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम,1966 ।
5. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 ।
6. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 ।
7. सामान्य सेवा नियम ।
8. सामान्य भविष्य निधि नियम ।
9. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ (Reorganization) पुनर्गठन अधिनियम, 2000 ।
10. वाणिज्यिक लेखा (Commerical Account) मैनुअल ।
11. नगदी लेखा (Cash Account) मैनुअल ।
12. आचार संहिता ।
13. ई.एस.एस.ए.आर., 1985 ।
14. राज्य शासन का नोटिफिकेशन दिनांक 03.06.2006 ।
15. आर.ए.ओ. मैनुअल ।
16. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, रायपुर के कार्यालय में निर्धारित शुल्क नगद (नगद से आशय कार्यालय में जमा की गई राशि की पावती रसीद) अथवा गैर न्यायिक स्टाम्प / चालान / मनीऑर्डर / बैंकड्राफ्ट / डिमाण्ड ड्राफ्ट / भारतीय पोस्टल आर्डर के द्वारा जो सहायक प्रबंधक, छ.ग. स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, रायपुर '(Assistant Manager, CSPHCL, Raipur) के नाम से देय हो जमा किए जा सकते हैं।

होल्डिंग कंपनी में प्रभावशील श्रम अधिनियम

1. मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961
2. व्यवसाय संघ अधिनियम 1926
3. बोनस संदाय अधिनियम 1965
4. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923
5. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
6. वेतन भुगतान अधिनियम 1936
7. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
8. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
9. उपदान संदाय अधिनियम 1972
10. समान वेतन अधिनियम 1976
11. कर्मचारी भविष्य निधि व प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952
12. संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970
13. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4(ख)iv

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान)

संबंधित विभाग के द्वारा प्रकरण शुरू किया जाता है और सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो कि प्रत्योजित शक्तियों के अनुसार प्रकरण को उचित माध्यम से स्वीकृत करने हेतु शक्ति सम्पन्न है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4(ख)v

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख)

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड रायपुर में समस्त प्रकरण यथा संभव समय-सीमा के अंदर पालन करते हुए निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4(ख)vi

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में दस्तावेजों जो धारित या नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण)

अपने कृत्यों के निर्वहन से संबंधित अभिलेखों को सामान्यतः नस्तियों/पंजियों के रूप में संधारित किया जाता है । सामान्यतः संधारित किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों का वर्गीकरण निम्नलिखित है :-

1. गोपनीय चरित्रावलियाँ ।
2. व्यक्तिगत नस्तियाँ (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) ।
3. निविदा अभिलेख/टेका अनुबंध ।
4. क्रय/कार्य प्रकरण नस्तियाँ ।
5. आस्तियाँ एवं सम्पत्ति पंजी ।
6. अवकाश अभिलेख एवं अन्य स्थापना अभिलेख ।
7. न्यायालयीन प्रकरण नस्तियाँ ।
8. अन्य प्रकीर्ण नस्तियाँ/पंजियाँ ।
9. वार्षिक लेखा प्रपत्र ।
10. ऊर्जा क्रय संबंधी वाणिज्यिक अनुबंध ।
11. टी.ए.बिल, मेडिकल बिल, आवक-जावक पंजी, कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी ।
12. विभिन्न समितियों का गठन ।
13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित पंजी ।
14. व्ही.आई.पी. संदर्भित शिकायतों/प्रकरणों से संबंधित पंजी ।

उपरोक्त विषयों से संबंधित दस्तावेजों का संधारण फाइलों/रजिस्ट्रों के माध्यम से किया जाता है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4 (ख)vii

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए या अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं)

लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण तथा तत्संबंधी क्रियान्वयन हेतु जनता या जनप्रतिनिधि से/को परामर्श/भागीदारी का प्रावधान दर्शाता प्रारूप निम्नानुसार है :-

स. क्र.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता को भागीदारी अनिवार्य है ? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
1	निरंक	निरंक	निरंक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4 (ख)viii

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत
गठित मण्डल परिषद कमेटी)

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी के संबंध में जानकारी निरंक है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4(ख)ix

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

GM (H.R), C.S.P.H.C.L.

क्र.	पदनाम	नाम सर्वश्री	दूरभाष क. (आफिस)	दूरभाष क्रमांक (निवास)	मोबाइल नं०	फैक्स क्रमांक
1.	प्रबंध निदेशक	शैलेन्द्र शुक्ला	2574300	----	----	4066931
2.	महिला निदेशक	श्रीमती तृप्ति सिन्हा	2574500	2574231	9425155334	6235132
3.	निदेशक (कार्मिक तथा प्रशासनिक)	अजय कुमार दुबे	2574300 4066926	2574331	9424213116	4066931
4.	महाप्रबंधक (मानव संसाधन)	एच.के.पांडे	2574700	----	9826460053	2574157
5.	कार्यपालक निदेशक (विभागीय जांच) (संविदा)	आनंद कुमार तिवारी	2574111	---	9425293000	---
6.	अति. महाप्रबंधक (मा.सं.)	सुनील कुमार मेहता	2574040	----	9826181464
7.	मुख्य चिकित्साधिकारी	डॉ.एच.एल.पंचारी	2574612	2574086	9424154615	---
8.	अति.महाप्रबंधक (ज.सं.)	विजय कुमार मिश्रा	2574702	2574615	9893123310	---
9.	मुख्य सतर्कता अधिकारी	श्री एस.के.शर्मा	2576063	---	9425259130	---
10.	सलाहकार (विधिक)	एन.के.पी. सिंह	2574023	---	9425294002	---
11.	हाऊस मैनेजर	डॉ. गणेश मिश्रा	011-42730148	---	09997060999	---
12.	उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-I	जितेन्द्र मेहता	2574161	---	9893025354	---
13.	उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-II	सुनील कुमार खरे	2574151	---	9425555230	---

14.	उपमहाप्रबंधक (औ.सं.)	गोपाल खंडेलवाल	2574171	2106027	9425093614	---
15.	प्रबंधक (क्य तथा सेवायें)	आनंद मोखरीवाले	2574114	2574115	9425224667	---
16.	प्रबंधक (समन्वय तथा प्रशासन)	श्रीमती तृप्ति सिंह वर्मा	2574113	2576028	9993908881	---
17.	अधीक्षण यंत्री (सतर्कता)	के.एस.तिवारी	2576064	---	9425162601	----
18.	सतर्कता अधिकारी	एस.पी.भट्ट	2576066	---	9425262227	---
19.	प्रबंधक (मा.सं.) छः/आठ	डॉ. श्रीमती अल्पना शरत तिवारी	2574690	---	9424200133	---
20.	प्रबंधक (मा.सं.)—पांच	श्रीमती मल्लिका बेक	2574689	---	9329806924	---
21.	प्रबंधक (मा.सं.) चार	श्रीमती पूर्णिमा कुलदीप	2574688	---	9826124848	---
22.	प्रबंधक (मा.सं.)—तीन	पंकज सिंह परमार	2574157	---	9425015018	---
23.	प्रबंधक (मा.सं.)—दो	श्रीमती नम्रता राठौर	2574685	---	9009897157	---
24.	गोपनीय अधिकारी	एस.के.तिवारी	2574676	---	9826560832	---
25.	सहायक यंत्री (सतर्कता)	श्रीमती पुष्पलता वर्मा	2576065	---	9406210049	---
26.	सहायक यंत्री	श्रीमती पल्लवी शाह मरकाम	---	---	9406230104	---
27.	प्रबंधक (औ.सं.)	अतुल तिवारी	2574671	---	9406236356	---
28.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	पी. एस. परिहार	2574673	---	9425520125	---

कार्यालय महाप्रबंधक (वित्त) के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं दूरभाष क्रमांक का विवरण

क्रं.	पदनाम कार्यालय का नाम	अधिकारी का नाम	दूरभाष क्रमांक			
		सर्वश्री / श्रीमती	कार्यालय	निवास	मोबाइल	फैक्स
1.	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	आलोक सिंह	2574359	---	94253-87738	---
2.	अति. महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	ए. के. चन्द्राकर	2574323	2574324	98268-32747	---
3.	प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	राजेश कुमार तांती	2574369	---	93024-47958	---
4.	प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	श्रीमती नीतू मुखर्जी	2574369	---	98260-68020	---
5.	सहायक प्रबंधक. (वित्त एवं लेखा)	सत्य नारायण मुंदड़ा	2574346	---	----	---

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4(ख)X

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली है की जानकारी

प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

अधिकारियों और कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के निर्धारित नियमावली के अनुसार किया जाता है। भुगतान किए गए मासिक पारिश्रमिक माह-मार्च 2019 का विवरण निम्नानुसार है :-

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER (FIN), CSPHCL, RAIPUR				
INFORMATION REGARDING SALARY				
S.N.	EMP NO.	NAME OF OFFICER SHRI	DESIGNATION	SALARY
1.	19901103	Shailendra Shukla	Managing Director	-
2.	93970679	Ajay Kumar Dubey	Director (P&A)	3,09,000
3.	9237349	H.K.Pandey	G.M.(HR)	3,01,132
4.	93970927	Alok Singh	G. M. (F&A) & Chief Financial Officer	2,71,072
5.	82979434	Madhusudan Ratnam	C. E (Special Secretary)	3,00,748
6.	18901103	Anand Kumar Tiwari	E.D. (Deptt. Enquiry)	1,71,250
7.	94340063	A.K.Tirkey	C.E.	2,36,236
8.	92301661	Dr. H.L.Panchari	C.M.O.	3,03,845
9.	89041346	Sunil Kumar Mehta	A.G.M.(HR)	2,90,440
10.	93973368	A.K. Chandrakar	A.G.M.(F&A)	2,29,534
11.	82979475	Vijay Kumar Mishra	A.G.M.(Publication)	2,82,632
12.	16901101	Nakul Kishore Prasad Singh	Advisor (Legal)	1,62,340
13.	89972168	Jitendra mehta	D.G.M. (HR) I	2,92,090
14.	5540315	Sunil Kumar Khare	D.G.M.(HR) II	1,39,002
15.	90018275	Gopal Khandelwal	D.G.M.(IR)	2,53,562
16.	92037521	Ashok Kumar Pandey	S.E.	2,90,440
17.	18901104	Arun Mishra	Company Secretary (Contract)	40,000
18.	93420569	S. K. Sharma	S.E.(C.V.O.)	2,92,090

19.	89042336	Dr.Usha Pillai	Addl.C.M.O.	3,08,330
20.	89040272	Dr.K.S.Chhabra	Addl.C.M.O.	3,08,330
21.	92037901	S K Tiwari	Sr. LIBRARY OFFICER	2,46,394
22.	19901101	K.V.Dharmratnam	Staff Officer	2,52,283
23.	10370467	Smt. Mallika Beck	MANAGER (HR)	1,22,106
24.	9950048	Smt. Purnima Kuldeep	MANAGER (HR)	1,22,106
25.	9950667	Smt, Alpana Sharat Tiwari	MANAGER (HR)	1,22,106
26.	09950121	Rajesh Tanti	MANAGER	1,11,581
27.	89970718	K.S.Tiwari	E.E.	2,84,282
28.	92452851	S.P.Bhatt	E.E.	2,45,626
29.	92313475	Manoj Koshley	E.E.	1,38,888
30.	9950444	Smt. Neetu Mukherjee	MANAGER (F&A)	1,24,812
31.	9950675	Pankaj Singh Parmar	MANAGER (HR)	1,22,106
32.	9950683	Smt. Namarata Rathore	MANAGER (HR)	1,18,778
33.	9950832	Smt. Tripti Singh Verma	MANAGER (C&A)	1,02,074
34.	85976635	Atul Kumar Tiwari	MANAGER (IR)	2,00,954
35.	92050103	Pradeep Singh Parihar	Sr. LAW OFFICER	1,82,114
36.	92043263	Anand Mokhriwale	Manager (P&S)	2,22,026
37.	05040142	Smt. Pushpalata Verma	Asst. Engineer	1,18,778
38.	11060190	Smt. Pallavi Shah Markam	Asst. Engineer	80,060
39.	86038253	Ram Kumar Sharma	Asst. Manager	1,89,604
40.	89376726	Satya Narayan Mundhra	Asst. Manager (F&A)	1,92,933
41.	12150013	Nilesh Kumar Singh	Medical Officer	1,27,120
42.	92511475	Ravikant Sahu	Security Officer	1,38,348
43.	17901101	Ganesh Mishra	House Manager	85,510

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER (FIN),CSPHCL,RAIPUR				
INFORMATION REGARDING SALARY				
S.N.	EMP NO.	NAME OF EMPLOYEE	DESIGNATION	NET SALARY
1.	89376866	C.P.R. Naidu	SECTION OFFICER.	1,77,980
2.	89376832	Subrat Das Gupta	SECTION OFFICER.	1,87,431
3.	89049231	S.R. Kumar	P.A.	1,83,228
4.	89376899	Rajesh Khare	O.A.GR.I	1,92,933
5.	92451119	Subhash S. Joshi	O.A.GR.I	1,66,995
6.	92541175	Dakeshwar Singh Baghel	O.A.GR.I	1,82,000
7.	84970853	V.C. Sarkhel	O.A.GR.I	1,74,905
8.	89377252	Abraham Varghese	O.A. GR. I	1,83,556
9.	90519462	Manoj Kumar Tiwari	O.A. GR. I	1,77,980
10.	91370410	Rajkumar Pandey	SECTION OFFICER	1,83,228
11.	92451887	Sheetal Sahu	O.A. GR. I	1,83,228
12.	93510385	Alok Pandey	O.A. GR. I	1,83,228
13.	91550707	Mahendra Tiwari	O.A. GR.I	1,82,060
14.	92452737	Nagesh Ran Sahu	O.A. GR.I	1,55,577
15.	90374362	D.L. Murty	O.A.GR.I	1,77,980
16.	90518415	Kamlesh Kumar Kekti	O.A.GR.I	1,60,185
17.	92458932	Satpal Singh Dhiman	SR. STENO	1,63,260
18.	90330860	Surendra Kumar Sahu	SR. STENO	1,36,121
19.	92480076	Jabir Mohd. Quraishi	SR. STENO	1,22,556
20.	90010371	Rajendra Kumar Durugkar	SR. STENO	1,36,679
21.	92513950	Upendra Kumar Sahu	SR. STENO	1,71,842
22.	85970547	K Sanyasi Rao	SR. STENO	1,58,652
23.	85973053	Shirish Athaley	SR. STENO	1,72,860
24.	85975736	Anil K. Thomas	SR. STENO	1,33,692
25.	90291559	Shrikant Londhe	SR. STENO	1,72,860
26.	92511566	Neeraj Kumar Mishra	Stenographer Gr- I	1,14,108
27.	90376136	Deepak Ram Yadav	P.A.	1,67,996
28.	92059425	Manohar Lal Banwari	SR. STENO	1,72,860
29.	90514793	Sanjay Agrawal	SR. STENO	1,04,433
30.	10510477	Madalsa Vishwakarma	J.E.	77,884
31.	15900005	Sunil Kumar Patel	Asst. LAW OFFICER	62,777

32.	15140016	Anamika Mandavi	Asst. PUB. OFFICER	62,777
33.	91371896	Rajendra Kumar Patel	O.A. GR.II	1,08,769
34.	92511285	Dhananjay Kumar Agrawal	O.A. GR.II	1,54,619
35.	92512333	Arti Verma	O.A. GR.II	1,24,644
36.	90049569	Shriniwas Patel	O.A. GR.II	1,42,251
37.	90512020	Shailesh Kumar Soni	O.A. GR.II	1,09,497
38.	90513804	Komal Pd. Patel	O.A. GR.II	1,55,577
39.	90517888	S.G. Rajimwale	O.A. GR.II	1,06,297
40.	90580655	Umesh Kumar Brahm	O.A. GR.II	1,06,297
41.	91376598	Ishwar Prasad Sharpa	O.A. GR.II	1,60,185
42.	91453918	Pradeep Singh Nadanwan	O.A. GR.II	1,03,225
43.	91514561	M.H. Saify	O.A. GR.II	1,03,497
44.	91516848	Radheshyam Kesharwani	O.A. GR.II	1,03,225
45.	92042661	Rajesh Thakur	O.A. GR.II	1,64,921
46.	92049897	Jyoti Pathak	O.A. GR.II	1,46,745
47.	92452612	Atul Gadre	O.A. GR.II	97,337
48.	92510551	M.K. Verma	O.A. GR.II	1,12,697
49.	92510865	Dilip Agrawal	O.A. GR.II	1,55,577
50.	92510957	Anant Kumar Mistri	O.A. GR.II	98,489
51.	92511335	Rameshwar Nagtode	O.A. GR.II	1,60,185
52.	92513752	Shesh Kumar Soni	O.A. GR.II	90,425
53.	93510732	Kamal Bhawar	O.A. GR.II	1,06,297
54.	93512274	Dilip Kumar Yadu	O.A. GR.II	1,51,097
55.	92512663	Nisar Ahmed Sheikh	O.GR. II	1,64,921
56.	93514015	Amit Kumar Mehta	O.A. GR.II	1,60,185
57.	04950043	Smt. Pushpa Poddar	O.A. GR.II	70,713
58.	04950282	Naveen Kumar Sahu	O.A. GR.II	70,713
59.	04950795	Jitendra Choudhary	O.A. GR.II	70,713
60.	10950185	Rupesh Kumar Nag	O.A. GR.II	55,993
61.	92540946	Ajay Kumar Jhariya	O.A. GR.II	76,995
62.	9950337	Virendra Kumar Pathak	JR. STENO	57,657
63.	10950367	Viju Pillai	JR. STENO	49,097
64.	10950375	K.M.Lalitha	JR. STENO	49,582
65.	93516358	Sanjay Tembe	ARTIST	70,713
66.	6548076	Prabhu sharan singh thakur	S.S.I.	56,602
67.	85970596	Mool Sajiwan Sharma	PHARMACIST	1,75,055

68.	92049996	Vijay Tiwari	PHARMACIST	1,65,071
69.	92301645	Anita Dumare	A.N.M.	1,40,623
70.	92301298	Neelmani Panchari	STAFF NURSE	1,26,927
71.	04330899	Ramdhan Rathore	O.A. GR.III	58,775
72.	05950299	Jitendra Kumar Sahu	O.A.Gr-III	66,745
73.	05950380	Lokeshwar Dewangan	O.A.Gr-III	56,249
74.	09950246	Yogesh Kumar Farikar	O.A. GR.III	48,182
75.	09950964	Nandkishor Sahu	O.A.Gr-III	45,177
76.	09950972	Smt.Sarika Sahu	O.A.Gr-III	45,177
77.	09950980	Smt.Bharti Pillay	O.A.Gr-III	47,713
78.	09951004	Rahul Kadam	O.A.Gr-III	47,713
79.	10950011	Sandeep Kumar Agrawal	O.A. GR.III	49,977
80.	10950029	Balwant Verma	O.A. GR.III	51,513
81.	10950037	Prasanna Kumar Dubey	O.A.GR-III	49,977
82.	10950318	Narsing Kumar Sahu	O.A. GR.III	47,161
83.	10950342	Kanhaiya Lal Dewangan	O.A. GR.III	47,161
84.	09950311	Sanjay Kumar Verma	O.A. GR.III	55,545
85.	9950386	Pushplata Rawat	O.A. GR-III	55,545
86.	18901101	Chiranjeev Sahini	Stenographer Gr-III (Cont)	18,665
87.	18901105	Govind Ballabh	Protocol Assistant (Cont)	16858
88.	18901106	Devendra Singh Kshatri	Data Entry Operator	26,169
89.	92518603	Heeraram Sahu	ADDL.C.ATTD.GR-1	1,06,575
90.	92059748	Lakhpatri Sindoor	WARD BOY	1,01,071
91.	93519096	Dhani Ram Sahu	CLEANER	48,444
92.	87382097	Bhakt Prahlad Dewangan	MOTOR DRIVER	89,423
93.	91374031	Uttam Kumar Pal	MOTOR DRIVER	97,615
94.	16901104	Ramesh Chandila	MOTOR DRIVER	29,067
95.	87033740	Ramesh Singh Porte	Hd.SECURITY GAURD	94,849
96.	94321575	Manik Sharma Kujur	Sr.SECURITY GAURD	82,171
97.	85973558	Tarachand Ben	Hd.SECURITY GAURD	92,161
98.	89422784	Vijay Lakra	Hd.SECURITY GAURD	81,921
99.	89048572	Shesh Narayan Verma	Sr. SECURITY GUARD	1,03,553
100.	92512804	Gajanand Sahu	Sr. SECURITY GAURD	1,13,453

101.	94340964	Chunnulal Sahu	Sr. SECURITY GAURD	1,09,825
102.	84444965	Govind Narayan Shende	DAFTARY	1,00,404
103.	4950365	Amritlal Patel	PEON	45,843
104.	5950349	Smt.Uma Sahu	PEON	41,638
105.	9950618	Smt.Santoshi Chauhan	PEON	32,980
106.	10950250	Suryabhan Patel	PEON	32,284
107.	10950276	Vimlesh Kumar Patel	PEON	32,284
108.	4950175	Lal Bahadur Patel	PEON	48,444
109.	10950284	Pyare Lal Yadav	PEON	36,797
110.	10950292	T. Laxmi Narayan Rao	PEON	36,797
111.	10950417	Pitambar Verma	PEON	32,684
112.	85977849	Dayal Singh Netam	PEON	89,935
113.	92332541	Jagatpal Yadav	PEON	69,820
114.	93397551	Smt.Asha Pal	PEON	69,820
115.	93517298	Manoj Kumar Banjare	PEON	51,388
116.	93517323	Rajendra Kumar Baghmar	PEON	51,388
117.	93517331	Falgu Ram Nishad	PEON	51,388
118.	93517348	Lekh Ram Sahu	PEON	52,924
119.	93517422	Ambika Pd. Dhiwar	PEON	43,708
120.	96447790	Subodh Ghasiya	PEON	52,108
121.	93517935	Sukhlal Kanojiya	PEON	42,476
122.	93518008	Awadh Sharan Patel	PEON	51,388
123.	93518669	Yado Rao Dahake	PEON	48,444
124.	93519088	Premlal Dauriya	PEON	48,444
125.	13900101	Poornima Yadu	PEON	34,448
126.	13900104	Mahesh Rathore	PEON	34,448
127.	10950409	S.Bhagirathi Rao	PEON	30,492
128.	93517414	Dev Kumar Sahu	PEON	49,852
129.	9950527	Jageshwar Sahu	PEON	34,638
130.	9950295	Narayani Bai	PEON	37820
131.	15900002	Narottam Yadav	PEON	33,574
132.	14900003	Smt. Lakhmi Kashyap	PEON	33,424
133.	11040532	Sankhmitra Sahu	PEON	32,284
134.	15900003	Smt. Asha Banjare	PEON	33,574

135.	15900006	Shankar Dhanak	PEON	28,400
136.	4950233	Smt. Ragani Bai Siware	PEON	50,717
137.	93517109	Rajkumar Lahare	PEON	59,912
138.	93517901	Devendra Kumar Latare	PEON	53,853
139.	17901102	Vinod Kumar Arya	House Keeper	20,000

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
मैनुअल क्रमांक-4(ख)xi

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को आबंटित बजट

वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4(ख)xii

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है के संबंध में जानकारी निरंक है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
मैनुअल क्रमांक-4(ख)xiii

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ:-

अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण निरंक है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक— 4(ख)xiv

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उपलब्ध हो या धारित हो

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड रायपुर के वेबसाइट <http://www.cspc.co.in> में कम्पनी से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4(ख)XV

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष एवं कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं)

सूचनाओं को जनमानस तक पहुँचाने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गयी हैं :-

1. समस्त जानकारी कम्पनी की वेबसाइट में उपलब्ध है ।
2. सूचना पटल ।
3. अखबारों के माध्यम से ।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जनमानस आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क सहायक प्रबंधक छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर के नाम से अदायगी के पश्चात् जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं ।
5. उपलब्ध विभागीय मैनुअल ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
मैनुअल क्रमांक-4(ख)XVI

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में लोक सूचना अधिकारी का नाम,
पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ**

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अपीलीय अधिकारी,
जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी का विवरण

क्र.	कार्यालय का स्तर	कार्यालय का नाम, स्थान, पता एवं दूरभाष क्रमांक	जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पद का नाम	सहायक जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पद का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पद का नाम
1.	महाप्रबंधक (मानव संसाधन)	महाप्रबंधक (मा0सं0) छ.ग. स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर दूरभाष क्र. 2574700	श्री सुनील कुमार खरे उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो दूरभाष क्रमांक 2574151	श्री पंकज सिंह परमार प्रबंधक (मा.सं.) दूरभाष क्रमांक 2574157	श्री एच.के.पांडे महाप्रबंधक (मानव संसाधन) दूरभाष क्रमांक 2574700
2.	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी छ.ग. स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर दूरभाष क्रं 2574359	श्री ए.के. चन्द्राकर अति. महाप्रबंधक (वित्त) दूरभाष क्रमांक 2574323	श्री राजेश कुमार तांती प्रबंधक(के.ले.ई.) दूरभाष क्रमांक 2574345 2574346	श्री आलोक सिंह महाप्रबंधक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी दूरभाष क्रमांक 2574359

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
मैनुअल क्रमांक-4(ख)xvii

(छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में अन्य सूचना जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा)